



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248455
CG-DL-E-31082023-248455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502]
No. 502]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 642(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय गुणवत्ता परिषद् के राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (क्यूसीआई-एनएबीईटी) द्वारा प्रदत्त प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. एम. VI-16/15/2021-खान VI, तारीख 12 अगस्त, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मार्गदर्शी सिद्धांत कहा गया है) द्वारा जारी किए गए 'प्रत्यायित प्राइवेट खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत' के अनुसार 'प्रवर्ग क खोज अभिकरणों' के अधीन मैसर्ज एंजीओटेक कंसल्टेंट को अधिसूचित करती है।

2. उक्त अभिकरण, उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वोक्त प्रचालन करेगा।

3. यह अधिसूचना, इसके प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अनुदत्त प्रत्यायन के अवसान या समाप्त होने तक, जो भी पूर्वतर हो, प्रवर्तन में रहेगी।

[फा. सं. एम.VI-16/22/2022-खान VI]

डॉ. वीना कुमारी डर्मल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2023

G.S.R. 642(E).—In exercise of the powers conferred under the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India (QCI-NABET), the Central Government hereby notifies M/s Engeotech Consultant under 'Category A Exploration Agencies' as per the 'Guidelines for notification of accredited private exploration agencies' issued by the Government of India in the Ministry of Mines vide order No. M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021 (hereafter referred to as the said guidelines).

2. The said agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines.

3. This notification shall remain in force for a period of three years from the date of its publication or till the expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F.No.M.VI-16/22/2022-Mines-VI]

DR. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.